

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 जून 2017—आषाढ़ 7, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 जून 2017

क्र. F. A.-3-22-2017-1-पांच(32).—राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (सन् 2017 का 19) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्र. 20 सन् 2002) के तहत नियुक्त, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को 22 जून, 2017 से सारणी के संबद्ध कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों तथा, उसके अधीन बनाए गए नियमों के लिए नियुक्त करती है:—

सारणी

अ. क्र.	अधिकारियों का संवर्ग [मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्र. 20 सन् 2002) में विनिर्दिष्ट अनुसार]	यथा नियुक्त
(1)	(2)	(3)
1	आयुक्त, वाणिज्यिक कर	राज्य कर आयुक्त
2	विशेष आयुक्त, वाणिज्यिक कर	राज्य कर विशेष आयुक्त
3	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर (भा.प्र.से.)	राज्य कर विशेष आयुक्त
4	संचालक, वाणिज्यिक कर	राज्य कर विशेष आयुक्त
5	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर	राज्य कर अपर आयुक्त
6	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त
7	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर	राज्य कर उपायुक्त
8	वाणिज्यिक कर अधिकारी	राज्य कर सहायक आयुक्त
9	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	राज्य कर अधिकारी
10	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	राज्य कर निरीक्षक
11	कराधान सहायक	कराधान सहायक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2017

क्र. एफ ए-3-22-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए. 3-22-2017-1-पांच(32), दिनांक 28 जून 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 28th June 2017

No. F-A-3-22-2017-1-V-(32).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), the State Government, hereby, appoints the class of officers appointed under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), as specified in column (2) of the Table below, on the posts as specified in the corresponding column (3) of the Table, with effect from 22nd June, 2017, for the purpose of the said Act and the rules made thereunder:—

TABLE

S. No.	Class of officers [as specified in the Madhya Pradesh Value Added Tax Act, 2002 (No. 20 of 2002)]	Appointed as
(1)	(2)	(3)
1	Commissioner of Commercial Tax	Commissioner of State Tax
2	Special Commissioner of Commercial Tax	Special Commissioner of State Tax
3	Additional Commissioner of Commercial Tax (IAS)	Special Commissioner of State Tax
4	Director of Commercial Tax	Special Commissioner of State Tax
5	Additional Commissioner of Commercial Tax	Additional Commissioner of State Tax
6	Deputy Commissioner of Commercial Tax	Joint Commissioner of State Tax
7	Assistant Commissioner of Commercial Tax	Deputy Commissioner of State Tax
8	Commercial Tax Officer	Assistant Commissioner of State Tax
9	Assistant Commercial Tax Officer	State Tax Officer
10	Inspector of Commercial Tax	Inspector of State Tax
11	Taxation Assistant	Taxation Assistant

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.